

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,

— 0 —

:: आदेश ::

नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 25/01/2022

क्रमांक एफ 1-15/2021/38-1 :: इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 04 जनवरी, 2022 के सरल क्र0 17 जो श्री अंकित भोई को सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) के पद पर शासकीय महाविद्यालय लवन, जिला बलौदाबाजार पदस्थ करने संबंधी है, में आंशिक संशोधन करते हुए अब श्री भोई को शासकीय महाविद्यालय पिरदा, जिला महासमुंद, (छ.ग.) पदस्थ किया जाता है।

2/ इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 04 जनवरी, 2022 के सरल क्र0 27 जो श्री निर्वेश कुमार दीक्षित को सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) के पद पर शासकीय नवीन महाविद्यालय कंडेल, जिला धमतरी पदस्थ करने संबंधी है, में आंशिक संशोधन करते हुए अब श्री दीक्षित को शासकीय महाविद्यालय सोनाखान, जिला बलौदा बाजार, (छ.ग.) में पदस्थ किया जाता है।

3/ इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 04 जनवरी, 2022 के सरल क्र0 18 जो सुश्री ऋचा जांगड़े को सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) के पद पर शासकीय महाविद्यालय जामगांव (आर) जिला दुर्ग पदस्थ करने संबंधी है, में आंशिक संशोधन करते हुए अब सुश्री जांगड़े को शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय तखतपुर, जिला बिलासपुर, (छ.ग.) में पदस्थ किया जाता है।

4/ नियुक्ति की शर्तें इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 04 जनवरी, 2022 के अनुसार पूर्ववत होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(ए.आर.खान)

अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

निरंतर.....

//2//

पृ. क्रमांक एफ 1-15/2021/38-1,

नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 25/01/2022

प्रतिलिपि :-

01. अपर मुख्य सचिव, मुख्य मंत्री छत्तीसगढ़, मुख्य मंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
 02. महालेखाकार, रायपुर, छत्तीसगढ़
 03. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 5385/01/चयन/2020/04, दिनांक 08.03.2021 के संदर्भ में
 04. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर, छ.ग.
 05. आयुक्त, दुर्ग/बिलासपुर/बस्तर/रायपुर/सरगुजा संभाग, (छ.ग.),
 06. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
 07. संबंधित कलेक्टर,(छ.ग.),
 08. क्षेत्रीय अपर संचालक, रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/सरगुजा/बस्तर उच्च शिक्षा, (छ.ग.),
 09. माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी के विशेष सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
 10. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी,(छ.ग.),
 11. संबंधित समस्त प्राचार्य ।
आदेशानुसार कृपया संबंधित को कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व सुसंगत शैक्षणिक दस्तावेज, पहचान पत्र एवं अन्य संगत प्रमाण पत्र/अनापत्ति आदि की मूल प्रतियों का परीक्षण कर स्वयं संतुष्ट होने के उपरांत अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करावें। उक्त सभी दस्तावेजों की अभ्यर्थी द्वारा स्वप्रमाणित प्रति अभिलेख हेतु रखे,
 12. संबंधित अभ्यर्थीगण
 13. आदेश फोल्डर
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



अवर सचिव

छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग